न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 02 / 82 / 2017

रामेश्वर दयाल बनाम रामकरण वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 26.07.2018

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 16.05.18 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 58 / 1.16, 257 / 0.35, 258 / 0.13, 664 / 0.46 है. वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 21.06.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को उसके हिस्से तक कार्य काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें तथा आराजी विवादित का विक्रय न करें बाबत् जारी की गई थी तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सीताराम वशिष्ट वकील उपस्थित न्यायालय आये। उनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुनने के उपरान्त

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 58 / 1.16, 257 / 0.35, 258 / 0.13, 664 / 0.46 है. वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 16.05.2018 का प्रचलन दावे के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)